[1][धारा 114 : अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां

अध्यक्ष, अपील अधिकरण के ऊपर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाए।]

---

1 वित अधिनियम, 2023 द्वारा धारा 114 प्रतिस्थपित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है। प्रतिस्थपन से पूर्व यह इस प्रकार था :

''**धारा 114 : अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां**

अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यायपीठ और अपील अधिकरण की प्रादेशिक न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं :

परन्तु अध्यक्ष के पास अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे किसी अन्य सदस्य या राष्ट्रीय न्यायपीठ और प्रादेशिक न्यायपीठों के किसी अधिकारी को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा, प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा।''